अनुदान संख्या 9 – कोयला मंत्रालय
GRANT No. 9 - MINISTRY OF COAL

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	882,61,00		882,63,00	571,64,01	-310,98,99
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					310,91,43

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	8200.00	..	..	..
पु.	R.	-8200.00			
मुख्य शीर्ष "2803"	Major Head "2803"				
कोयला और लिग्नाइट	Coal and Lignite				
मू.	O.	75207.00	52344.90	52343.57	-1.33
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-22864.10			

(I) ₹8631.00 लाख का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹7845.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "कोयला तथा लिग्नाईट – अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(I) Provision of ₹8631.00 lakhs remained wholly unutilized under ten heads; of these ₹7845.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Coal and Lignite - Other Expenditure" - under the following heads:-

(का) "क्षेत्रीय अन्वेषण" – ₹700.00 लाख; और

(खा) "विस्तृत वेधन" – ₹6300.00 लाख;

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्ति रहा।

(गा) "कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास" – ₹845.00 लाख कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "2803" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईः–

(का) "अनुसंधान और विकास – अन्य स्कीमें" – ₹830.09 लाख की बचत (₹1827.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "कोयला तथा लिग्नाइट कंपनियों को सहायता – कोयला खानों में संरक्षण सुरक्षा और अवसंरचना विकास" – ₹6655.73 लाख की बचत (₹6943.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "अन्वेषण और विस्तृत वेधन – कोयला तथा लिग्नाइट का अन्वेषण" – ₹15323.25 लाख की बचत (सितंबर, 2020 में प्राप्त ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹51170.25 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(घा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – विस्तृंत वेधन" – ₹2033.00 लाख की बचत (₹5229.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Regional Exploration" - ₹700.00 lakhs; and

(B) "Detailed Drilling" - ₹6300.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on scheme for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(C) "Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas" - ₹845.00 lakhs - due to receipt of less proposals.

(II) Under Major Head "2803" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Research and Development - Other Schemes" - saving of ₹830.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1827.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(B) "Assistance to Coal and Lignite Companies - Conservation Safety and Infrastructure Development in Coal Mines" - saving of ₹6655.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6943.00 lakhs);

(C) "Exploration and Detailed Drilling - Exploration of Coal and Lignite" - saving of ₹15323.25 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹51170.25 lakhs including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in September, 2020);

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes-Detailed Drilling" - saving of ₹2033.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5229.00 lakhs); and

(ड.) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – विस्तृत वेधन" – ₹2118.00 लाख की बचत (₹5418.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोयला कंपनियों से दावे प्राप्त न होने और कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹3587.13 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि सितंबर, 2020 तथा फरवरी, 2021 में मुख्य शीर्ष "2803" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

(का) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास" – ₹3086.60 लाख।

(खा) "निदेशन और प्रशासन – सांविधिक निकाय, सम्बद्ध तथा अधीनस्थव कार्यालय" – ₹500.53 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹499.21 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2803" – "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – क्षेत्रीय अन्वेषण" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹563.75 लाख का अधिक व्यय (सितंबर, 2020 में प्राप्त किए गए ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹602.25 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोयला कंपनियों के बकाया बिलों का निपटान होने के कारण हुआ।

(E) "Tribal Area Sub-Plan - Detailed Drilling" - saving of ₹2118.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5418.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to non-receipt of claims from coal companies and receipt of less proposals.

2.(I) The above savings were partly (₹3587.13 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in September, 2020 and February, 2021 under Major Head "2803" - under the following heads:-

(A) "Tribal Area Sub-Plan - Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas" - ₹3086.60 lakhs.

(B) "Direction and Administration - Statutory Bodies, Attached and Sub-ordinate office" - ₹500.53 lakhs. Actual, excess, however, was ₹499.21 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2803" - "Tribal Area Sub-Plan-Regional Exploration" - excess of ₹563.75 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹602.25 lakhs including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in September, 2020) was due to settlement of outstanding bills of coal companies.